120

पत्रांक– वित्त–2/III-01-06-2019/.....596.....

बिहार पुलिस मुख्यालय

(मुख्यालय एंव बजट प्रभाग)

प्रेषकः– **पुलिस महानिदेशक**
बिहार, पटना

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/आर्थिक अपराध इकाई/राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो/तकनीकी एवं संचार सेवायें (वितंतु)/रेलवे/विशेष कार्य बल, बिहार, पटना
सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक(रेलवे/ए0टी0एस0/विशेष शाखा/ अपराध अनुसंधान विभाग/आर्थिक अपराध इकाई/सैन्य पुलिस सहित), बिहार
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)/पुलिस अधीक्षक (सी0),अपराध अनुसंधान विभाग/पुलिस अधीक्षक (अ0),विशेष शाखा बिहार, पटना/विशेष निगरानी इकाई बिहार, पटना/ सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस महिला स्वाभिमान बटालियन, बगहा/अश्वारोही सैन्य पुलिस, आरा/महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम
प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर/सिमुलतल्ला/डुमरॉव
निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना
क्षेत्रीय निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर/मुजफ्फरपुर
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक बिहार, पटना

पटना, दिनांक– 02.06.2022

प्रसंग :– बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना का पत्रांक–5463 दिनांक–08.05.2017, ज्ञापांक–914/वित्त–2 दिनांक–28.07.2020, पत्रांक–1215/वित्त–2 दिनांक–15.10.2020, पत्रांक–792/वित्त–2 दिनांक–5.08.2021 एवं पत्रांक–60/वित्त–2 दिनांक–13.01.2022

विषयः– **बिहार पुलिस शिक्षा कोष, परोपकारी कोष तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष का अशंदान राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र का स्मरण करें, जिसके माध्यम से बिहार पुलिस शिक्षा कोष, परोपकारी कोष तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष का अंशदान राशि पुलिस पदाधिकारी/कर्मी (सिपाही से पुलिस निरीक्षक एंव लिपिक) से प्राप्त कर अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस परोपकारी कोष(बैंक खाता सं0–10839123888)/अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस शिक्षा कोष(बैंक खाता सं0–10839123877)/अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष(बैंक खाता सं0–10839123720) के बैंक खाता में जमा कर जमा पर्ची ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

वरीय पुलिस अधीक्षक गया/ मुजफ्फरपुर/ भागलपुर/ पुलिस अधीक्षक सारण/ सुपौल/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमुर/नवादा/औरंगाबाद/जहानाबाद/बांका/नवगछिया/जमुई/बेगुसराय/लखीसराय/सिवान/अररिया/खगडिया/शेखपुरा/वैशाली/शिवहर/बेतिया/बगहा/मधुबनी/सहरसा/मधेपुरा/पुर्णिया/कटिहार/अरवल/किशनगंज/विशेष कार्य बल/प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर /रेल पुलिस अधीक्षक पटना/मुजफ्फरपुर/जमालपुर/कटिहार/ पुलिस अधीक्षक (अ0), विशेष शाखा/ पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग/आर्थिक अपराध इकाई/रक्षित कार्यालय, पुलिस मुख्यालय द्वारा अंशदान कटौती नहीं की जा रही है जिसके कारण कोष की स्थिति दयनीय होती जा रही है। कल्याण कोष में सभी सदस्यों का अंशदान होना आवश्यक है, जिससे लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार कोष का लाभ दिया जा सके।

बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना का पत्रांक–5463 दिनांक–08.05.2017 द्वारा स्थानान्तरण/सेवानिवृति की स्थिति में अंशदान प्राप्त होने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया था। अंशदान प्राप्त नहीं होने के कारण पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को कोष से सेवानिवृति के उपरांत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पडता है जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि जिन जिला/इकाई से अंशदान प्राप्त हो रहे है, से समन्वय स्थापित कर तीनों कोषों का वार्षिक अंशदान राशि जिला/इकाई में संधारित बैंक खाता में प्राप्त कर तदोपरान्त अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस परोपकारी कोष/अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस शिक्षा कोष/अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष के बैंक खाता में जमा कर जमा पर्ची शीध्र उपलब्ध कराया जाय। इसका अनुपालन दृढता पूर्वक करेंगे। इसमें थोडी भी कोताही बरते जाने पर संबंधित जिला/इकाई के व्ययन पदाधिकारी को दोषी समझा जायेगा।

विश्वासभाजन

31/5/22

पुलिस महानिदेशक
बिहार, पटना

प्रतिलिपिः–1. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. पुलिस उपाधीक्षक, नियंत्रण कक्ष/परिवहन मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3. प्रशाखा पदाधिकारी(लेखा)/वित्त–2, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

31/5/22

पुलिस महानिदेशक
बिहार, पटना